उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001
Mail ID :**ukmssbdun@gmail.com**; Website : **www.ukmssb.org** **Phone: 01352665366**

विज्ञापन संख्याः उ0चि0से0च0बो0/परी0/09/2025–26/797 दिनांकः 18 नवम्बर, 2025

नर्सिंग अधिकारी परीक्षा–2025 (बैकलॉग पद) (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत)

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरूष) के रिक्त 103 बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	दिनांक 18 नवम्बर, 2025 (मंगलवार)
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 (मंगलवार)
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 (सोमवार) सांय 05.00 बजे तक
आवेदन शुल्क **Net Banking /Debit/Credit Card/UPI** के माध्यम से जमा करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 (सोमवार) सांय 05.00 बजे तक

पदों का विवरण

01. रिक्तियों का विवरणः– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरूष) डिप्लोमाधारक/डिग्रीधारक के पद हेतु बैकलॉग रिक्तियों की कुल संख्या 103 है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

पद का नाम		वेतनमान	पद कोड	रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	सामान्य/अनारक्षित
1		2	3	4	5	6	7	8	9
नर्सिंग अधिकारी महिला	डिप्लोमा धारक	₹44,900–₹1,42,400 (लेवल 7)	**401**	63	14	02	08	07	32
	डिग्रीधारक		**402**	31	10	00	05	02	14
नर्सिंग अधिकारी पुरुष	डिप्लोमा धारक		**403**	05	02	00	01	01	01
	डिग्री धारक		**404**	04	02	00	00	00	02
कुल				**103**	**28**	**02**	**14**	**10**	**49**

02. क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नानुसार हैः–

कः– नर्सिंग अधिकारी महिला (डिप्लोमाधारक) पद कोड –401

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिक	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रित	दिव्यांगजन
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	अनुसूचित जाति	14	08	02	04
2.	अनुसूचित जनजाति	02	01	00	01
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	08	05	00	03
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	07	04	01	02
5.	सामान्य/अनारक्षित	32	20	00	12
	योग	**63**	**38**	**03**	**22**

खः— नर्सिंग अधिकारी महिला (डिग्रीधारक) पद कोड—402

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिक	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रित	दिव्यांगजन
1	2	3	4	5	6
1.	अनुसूचित जाति	10	05	02	03
2.	अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	02	01	02
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	01	00	01
5.	सामान्य/अनारक्षित	14	09	00	05
	योग	31	17	03	11

गः— नर्सिंग अधिकारी पुरूष (डिप्लोमाधारक) पद कोड—403

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिक	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रित	दिव्यांगजन
1	2	3	4	5	6
1.	अनुसूचित जाति	02	02	00	00
2.	अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	01	00	00
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	01	01	00	00
5.	सामान्य/अनारक्षित	01	01	00	00
	योग	05	05	00	00

घः— नर्सिंग अधिकारी पुरूष (डिग्रीधारक) पद कोड —404

क्र0 सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिक	स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रित	दिव्यांगजन
1	2	3	4	5	6
1.	अनुसूचित जाति	02	01	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	00
5.	सामान्य/अनारक्षित	02	02	00	00
	योग	04	03	00	01

महत्त्वपूर्ण नोट—

(क) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 160/XXXVI(3)/2025/12(01)/2025 दिनांक 22 अप्रैल उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शाररिक रुप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2025 में यह प्राविधान है कि भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित के पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। दिव्यांगजन उपश्रेणी के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जायेगा।

(ख) उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपरोक्तानुसार प्रेषित/उपलब्ध कराये गए अधियाचन में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों एवं उनके सापेक्ष लम्बवत् व क्षैजित आरक्षण के अन्तर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिये गये विवरण के अनुसार ही किया गया है।

03. वेतनमानः— ₹ 44,900—₹ 1,42,400 (लेवल7)

04. पद का स्वरूपः—अराजपत्रित; अंशदायी पेंशन युक्त।

05. शैक्षिक अर्हताः— सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैः—

(I)— अनिवार्य अर्हताः—

(क) अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में बी0एस0सी0 (ऑनर्स), **अथवा** भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से बी0एस0सी0 नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, **अथवा** भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग **अथवा** भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी/मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो।

(ख) उत्तराखण्ड/भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद् से बी0एस0सी0 (ऑनर्स) **अथवा** बी0एस0सी0 नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0 नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी/मनोरोग विज्ञान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र हो।

(ग) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो।

(II)– अधिमानी अर्हताएंः –

1. प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "**बी**" अथवा "**सी**" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

06. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद् में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का पंजीकरण आवेदन–पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद् पंजीकरण प्रमात्र पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। एन.यू. आई.डी. कार्ड या पंजीकरण हेतु किये गये आवेदन की रसीद मान्य नहीं होगी। अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद् का वैध/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अतिआवश्यक है। यदि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तथा उसके पास आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्गत उत्तराखण्ड नर्सिंग तथा धात्री परिषद् का वैध/नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं होता है तो उन्हे प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

07. आयुः– **आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2025 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष हो तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।**

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य ऐसी श्रेणियों, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, को उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी नियमों में विर्निदिष्ट की गयी हो।

08. अधिकतम आयु सीमा में छूटः– उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्याः 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या– 6/1/72 कार्मिक–2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना मे अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। शासनादेश संख्याः 406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश संख्याः 124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 11/XXXI(2)/2022-30(2)2019, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित ऊर्ध्वाधर श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य है।

09. अनिवार्य/वांछनीय अर्हताः– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है–

(क) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र (Domicile) धारित करता हो,

(ख) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

(ग) सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/स्वायत्तशासी संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे।

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

10. **अनापत्ति प्रमाण पत्रः**– जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में नियमित रूप से कार्यरत हो, उन्हें सम्बन्धित विभाग का विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. **आरक्षण**– आरक्षण का दावा किये जाने हेतु अभ्यर्थी के पास ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्गत/वैध उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र अर्थात डोमिसाइल तथा सम्बन्धित श्रेणी–उपश्रेणी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतत्रंता संग्राम सेनानी आश्रित, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी या उनके आश्रित तथा कुशल खिलाडी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक,, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0),, उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी या उनके आश्रित तथा कुशल खिलाडी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी/निवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

a. **ऊर्ध्व आरक्षण** उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
b. **क्षैतिज आरक्षण** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।
c. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
d. शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को

अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है। 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' हेतु शासनादेश संख्याः 51/XXX(2)/2021-53(01)/2001 दिनाकं 09 फरवरी, 2021 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के पद पर पात्र अभ्यर्थी न मिलने की दशा में ऐसे पद को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का वही प्रमाण–पत्र मान्य होगा जो कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए जारी किया गया हो।

e. शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में सेवायोजित करने के उद्देश्य से अनारक्षित श्रेणी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। **"अनाथ बच्चों"** से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता–पिता एवं माता–पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त जारी प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

शासनादेश संख्याः 11/XXX(2)/2022-30(2) दिनांक 16 फरवरी 2022 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2021 के अनुसार प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर अनाथ बच्चों, जिनके माता–पिता दोनों की मृत्यु उनके जन्म से 21 वर्ष की आयु में हुई हो, के लिए आरक्षण के अधीन चयनित कोई अनाथ, जिस श्रेणी का होगा, उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित पदों पर कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पद को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। शासनादेश संख्याः 11/XXXI(2)/2022-30(2)2019ए दिनांक–16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित ऊर्ध्वाधर श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य हैं।

f. दिव्यांग आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यागंता की विभिन्न श्रेणियों मे से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यागंता होना अनिवार्य है। जिस–जिस दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 312/XXX(2)/17/30(5)/2014-TC दिनांक 27 अक्टूबर, 2017, 196/XVII-2/2011-29 (स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011, के अनुसार दिव्यांग (पी0एच0) OL (One Leg Affected) को नर्सिंग अधिकारी के पदों हेतु आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। दिव्यांग आरक्षण के लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग आरक्षण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

g. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्याः 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। **सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।**

h. अनुसूचित जाति/जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वही अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी में आवेदन करेंगे, जिनका उत्तराखण्ड के अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी का होने का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्याः 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार निर्गत किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तथा शासनादेश दिनांक 26.02.2016 की शर्तों के अनुसार निर्गत होने पर अधिकतम तीन वर्ष के लिए मान्य होगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी प्रमाण–पत्र

प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। **अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 22 दिसम्बर 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 दिसम्बर 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।** इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा

i. ''**भूतपूर्व सैनिक**'' से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रुप में सेवा की हो और जो– **(एक)** अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐंसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या **(दो)** चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या **(तीन)** जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कार्मिकों की कमी किये जाने के फलस्वरुप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या **(चार)** विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गई है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं–(क) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (ख) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, (ग) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

नोटः भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रुप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

j. ''**स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित**'' से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के (क) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (ख) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (ग) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

k. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023 दिनांक 18 अगस्त 2024 में उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा राज्य की राज्यधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा।

l. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 117/XXXVI(3)/2024/09(1)/2024 दिनांक 16 मार्च 2024 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2024 द्वारा ''कुशल खिलाड़ी'' से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/रास्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता हो या प्रतिभाग किया गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थाई अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा.प्र./2001 दिनांक 20 नवम्बर 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अर्न्तराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् होगाः–

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल–10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल– 9 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
3	कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल– 7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल– 6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
5	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलो इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल– 5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम में तात्पर्य अपनी श्रेणी से है।

m. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023 दिनांक 18 अगस्त 2024 उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 में ''चिन्हित आन्दोलनकारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका चिन्हीकरण समक्ष अधिकारी द्वारा राज्य आन्दोलनकारी के रुप में किया गया हो और उसे सन्दर्भ में प्रमाण–पत्र/पहचान पत्र निर्गत किया गया हो। ''आश्रित'' से चिन्हित आन्दोलनकारी की यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित हैं) अभिप्रेत है।

n. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 160/XXXVI(3)/2025/12(01)/2025 दिनांक 22 अप्रैल 2025 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शाररिक रुप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2025 में यह प्राविधान है कि भूतपूर्व सैनिक तथा स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित के पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले उपयुक्त अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। दिव्यांगजन उपश्रेणी के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी भर्ती के लिए अग्रेनित किया जायेगा।

o. आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड के नागरिकों को ही अनुमन्य होगा, जिसके लिये उत्तराखण्ड के उस जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो, जहां का वह व्यक्ति निवासी हो।

p. जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

q. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शायी गई सम्बन्धित आरक्षण की श्रेणी/उपश्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

r. अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप–श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथ विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्च्तम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है।

12. <u>राष्ट्रीयताः–</u> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थीः–

(क) भारत का नागरिक होः या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, यूगांडा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है, प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणीः– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

13. <u>चरित्रः–</u> सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति अधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नही होंगे।

14. <u>वैवाहिक प्रास्थितिः–</u> सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसका एक से अधिक पति जीवित हो; परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

15. <u>शारीरिक स्वस्थताः–</u> किसी भी ऐसे अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रुप से स्वस्थ नहीं है और किसी एसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व, उससे–

(क) सेवा में अन्य पदो के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में समाविष्ट मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है, परन्तु यह कि

1. दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का अधिनियम संख्या–49) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा–34 के अन्तर्गत संदर्भित में दिव्यांग जनो को नियमानुसार नियुक्ति दिये जाने से मना नहीं किया जायेगा।
2. पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

16. **<u>चयन प्रक्रिया</u>– उत्तराखण्ड अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली एवं समय–समय पर जारी संशोधन में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार चयन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई हैः–**

(क) चयन के लिए लिखित परीक्षा 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें 100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से सम्बन्धित विषय से होगा तथा 100 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का होगा। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) चयन के लिए वस्तुनिष्ट प्रकार की लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के अन्त में सलग्न परिशिष्ट–क में उल्लेख किया गया है।

(ग) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात, अभ्यर्थियों को साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ ट्रिप्लीकेट में होगी तथा ट्रिप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(च) लिखित परीक्षा के पश्चात, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer key) बोर्ड की वेबसाईट www.ukmssb.org पर प्रदर्शित की जायेगी।

(छ) लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित दिये हुए शहरों में से दो शहर का विकल्प का चयन किया जाना अनिवार्य है–

1. देहरादून   2. श्रीनगर   3. हल्द्वानी   4. अल्मोड़ा

नोट– अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्र शहर में बदलाव किया जा सकता है।

लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु दिशा निर्देश–

I. लिखित परीक्षा में सामान्य (Unreserved), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा आर्थिक रुप से कमजारे वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।

II. वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनाई जायेगी।

III. लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में सही उत्तर का 01 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

IV. प्रश्न पत्र पुस्तिका में हिन्दी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं में प्रश्न और विकल्प दिये होंगे।

V. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

VI. लिखित परीक्षा के ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) ट्रिप्लीकेट में होंगे। ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की मूल एवं द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रुप से जमा करेंगे।

VII. **गलत उत्तरों के लिए दण्ड–** वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, जो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।

(घ) ओ.एम.आर. शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक उत्तर विकल्प को खुरच कर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके मिटाकर अन्य उत्तर विकल्प का गोला भरा गया है, तो उन्हे उस उत्तर का अंक नहीं मिलेगा एवं ऋणात्मक अंक की भी कटौती की जायेगा।

(च) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नम्बर अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित न करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मुल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

17. <u>ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश</u>

a. अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट **www.ukmssb.org** पर जाएं तथा Apply Now पर क्लिक करें।

b. ऑनलाईन आवेदन हेतु **Nursing Offince Examination-2025 (Backlog Post) (For Medical Health and family wealfear)** के सम्मुख **"Apply Now"** पर जाएं क्लिक करें।

c. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाईट **www.ukmssb.org** पर जायें। ऑनलाईन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 02 दिसम्बर 2025 (मंगलवार) से **www.ukmssb.org** पर उपलब्ध रहेगा।

d. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करने की अन्तिम तिथि 22 दिसम्बर 2025 (सोमवार) (सांय 05.00 बजे तक) है।

e. अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन को भली–भॉति पढ़ लें। सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें।

f. जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

g. ऑफलाईन/हार्डकॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

h. अधूरे/अपूर्ण ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

i. वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र का विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

j. ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर **Click** करें एवं पुनः सही प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **I Agree** पर **Click** करें।

k. वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (50KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG FORMAT (50KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।

l. आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर **Continue** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।

m. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI द्वारा ही जमा करा सकते है।

n. आवेदन पत्र भरने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संदर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।

o. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑनलाईन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

p. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि तक के ही मान्य होंगे। ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

18. <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रक्रिया</u>

ऑनलाईन आवेदन भरने के तीन चरण हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

a. Step 1: Registratiom

b. Step 2: Application Submission

c. Step 3: Fee Submission

➢ <u>ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने का विवरणः–</u>

a. आवेदकों द्वारा UKMSSB की वेबसाईट **www.ukmssb.org** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन भरने का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जायेगा।

b. आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाईट **www.ukmssb.org** पर Apply Now में जाकर "Candidate, register Here" लिंक पर क्लिक कर अपना Registration करना अनिवार्य होगा।

c. आवेदकों को Registration करने के लिए वैध ई–मेल आई.डी. और मोबाईल नम्बर का होना आवश्यक है।

d. Registration करते समय अभ्यर्थी पदकोड तथा पदनाम का सही–सही चयन करें तथा अन्य चाहे गए विवरण को सावधानीपूर्वक भर कर सुरक्षित (Save) करना होगा।

e. Registration प्रोफाइल को सुरक्षित करने के उपरान्त अभ्यर्थी को उनके द्वारा अंकित की गई ई–मेल आई.डी. और मोबाईल नम्बर पर पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड सिस्टम द्वारा प्रेषित किया जायेगा।

f. अभ्यर्थी पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अंकित कर ऑनलाईन पत्र पोर्टल में लॉग–इन कर सकते है।

g. ऑनलाईन पोर्टल में लॉग–इन करने के उपरान्त आवेदक अपने से सम्बन्धित चाहे गए विवरण को भर कर सुरक्षित कर लें। डाटा को सुरक्षित करने से पूर्व अंकित किए गए डाटा का मिलान कर लें।

h. विवरण भरने के उपरान्त आवेदन को उसकी शैक्षिक अर्हता तथा कांउसिल में पंजीकरण सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य है।

i. अभ्यर्थी उत्तराखण्ड/भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद् के पंजीकरण विवरण में **उत्तराखण्ड नर्सेस एन्ड मिडवाइव्स काउंसिल, देहरादून** का पंजीकरण संख्या, पंजीकरण करने तिथि एवं पंजीकरण की वैधता तिथि अंकित करें तथा डाटा को सुरक्षित करने से पूर्व जॉच लें।

j. अभ्यर्थी को दिये गए परीक्षा केन्द्रों में से दो परीक्षा केन्द्र शहर का चुनाव करें।

k. अभ्यर्थी को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (SIZE: 20 KB to 50 KB) और हस्ताक्षर (SIZE 5 KB to 20 KB) की 'ईमेज' को स्कैन कर अपलोड कराना अनिवार्य होगा तथा साथ ही एक संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (A Combined Single PDF File), जिसका साइज 200 के0बी0 से 02 एम0बी0 तक होगा, अपलोड किया जाना अनिवार्य हैः–

संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (A Combined Single PDF File) में संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है।

1. High School Certificate
2. Intermediate Certificate
3. Domicile of Uttarakhand (If Any)
4. Category certificate SC/ST/OBC/EWS
5. Sub Category Certificates: Dependent of Freedom Fighter (DFF)/Ex-Army /Differently abled (PH)/ Orphan Children of Uttarakhand State/Uttarakhand Agitator or dependent/Skilled sportsperson
6. Degree/Diploma All year Mark sheet
7. Degree/Diploma Passing Certificate.
8. NCC/Teritorial Army Certificate
9. **Uttarakhand Nurses and Midwives council, Dehradun** Registration Certificate

नोटः– उपरोक्त के आधार पर संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (**Combined Single PDF File**) में क्रम संख्या 1,2,6,7 एवं 9 संलग्न किया जाना अनिवार्य है, तथा श्रेणी/उपश्रेणी आरक्षण सम्बन्धी लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु क्रम संख्या 3,4 और 5 (जिसका दावा अभ्यर्थी करते हो) संयुक्त पी0डी0एफ0 फाइल (**Combined Single PDF File**) के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

l. आवेदक की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि आवेदक पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश ऑनलाईन पोर्टल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले Registration Form को संशोधित करना होगा।

m. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन सिस्टम द्वारा स्वीकार किये जाएंगे।

n. अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के उपरान्त अपने आवेदन पत्र में बदलाव नहीं कर सकेंगे।

o. उस आवेदक के आवेदन पर विचार नही किया जायेगा, जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

p. UKMSSB द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकताः–

- नेट बैंकिंग
- डेबिट कार्ड
- क्रेडिट कार्ड
- यू0पी0आई0

19. <u>शुल्कः</u>— ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा। तत्पश्चात् पूरा आवेदन—पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI) के माध्यम से जमा करा सकता है। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है, तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाईन आवेदन की प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य हैः—

क्र.सं.	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	₹300/—मात्र
02	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई0डब्लू0एस0)	₹150/—मात्र
03	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	₹300/—मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	₹150/—मात्र
05	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति(एस0टी0)	₹150/—मात्र
06	उत्तराखण्ड दिव्यांग	₹150/—मात्र

<u>नोट</u>

a. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक उप—श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा—सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

b. जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

c. आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन रद्द (cancel) करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

20. आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम. /तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्याः 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का पूर्व से निर्गत प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि या इससे पूर्व वैध था परन्तु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैधता समाप्त हो गई है और नया प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद निर्गत हुआ है तो उसे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा उसे अन्य पिछडा वर्ग का लाभ अनुमन्य नहीं होगा ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। शासनादेश संख्याः 23/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। (ख) क्षैतिज आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी सम्बन्धित प्रमाण पत्र हेतु अधिवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थी यदि विवाह के पश्चात् जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करती है तो उसे अपने पिता पक्ष का भी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21. <u>सामान्य निर्देश</u>—

a. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें।

b. बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए।

c. परीक्षा के सभी स्तरों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रुप से चयनित कर लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

d. **ऑनलाईन मूल आवेदन–पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।**

e. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन–पत्र, उपस्थिति–सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

f. आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, पंजीकरण विवरण, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें क्योंकि ऑनलाईन फार्म की सन्निरीक्षा की जानी सम्भव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

g. **हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अत्तिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।**

h. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नही पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।**

i. बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन–पत्र में अपलोड किये हैं। बोर्ड के साथ पत्राचार अभ्यर्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मान्य नहीं होगा।

j. शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

k. **अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।**

l. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रानिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यार्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रानिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

m. **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित–** परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा ओर न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। **ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती के अनुसूचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम – 2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।**

n. **परीक्षा भवन में आचरणः–** कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु बोर्ड द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचार के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (ओ0एम0आर0) की मूल प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका की मूल प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम रोक दिया जायेगा एवं उनके विरुद्व विधिक कार्यवाही की जायेगी।

o. **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही–** अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्व अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। परीक्षा के उपरान्त चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।

p. आवेदित पद पर अन्तिम रुप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि बोर्ड को ऐंसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

q. **अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा–**

i. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रुप से परितोषाण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से सम्बन्धित किसी भी व्यंक्ति को ब्लैकमेल कना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

ii. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा

iii. प्रतिरुपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो, कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा

iv. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा

v. गलत या झूठे व्यक्तव्य दिए हैं या किसी महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

vi. परीक्षा कि लिए अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है,
(क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से सम्बन्धी गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या

vii. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

viii. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बाते लिखना, जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा

ix. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करनें के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा

x. परीक्षा संचालन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, अथवा

xi. परीक्षा कक्ष में परीक्षा के दौरान घड़ी/स्मार्टवॉच/मोबाइल फोन/पेजर या बोर्ड द्वारा वर्जित किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रुप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, अथवा

xii. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसेः–

a. बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें वह प्रतिभाग कर रहा है, और/अथवा

b. उसे स्थायी रुप से अथवा एक विशेष अवधि के लिएः–

(1) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है,

(2) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है,

c. यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक किः–

(1) अभ्यर्थी को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और,

(2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।

22. **अंगूठे का निशान (Thumb Impression)**– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्थिति प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अपने अंगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

23. **लिखित परीक्षा में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना सम्बन्धी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।**

24. **उत्तर कुँजी आपत्ति**– वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुँजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त बोर्ड की वैबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति साक्ष्य सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। शासन के पत्र संख्या 191689/XXVIII–1/2024/E.No.–67456 दिनांक 19 फरवरी 2024 द्वारा अभ्यर्थी किसी प्रश्न के उत्तर में आपत्ति दर्ज करने हेतु शुल्क के रुप में प्रति प्रश्न रु0 50.00 ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा करेंगे। अभ्यर्थियों से किसी प्रश्न के उत्तर में आपत्ति दर्ज किये जाने हेतु परीक्षा के उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध कराया जायेगा।

25. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

26. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग (FIR) भी दर्ज कराया जाएगा।

27. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

28. शासन की अधिसूचना संख्या 249/2023/ई–53459/22/IX–2/2023 दिनांक 04 सितम्बर 2023 के अनुसार अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र तक की यात्रा हेतु दो दिवस पूर्व तथा परीक्षा की समाप्ति की तिथि से दो दिवस के अन्दर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों के किराये में 50 प्रतिशत की रियायत सहित यात्रा की अनुमति दी गई है। इस हेतु अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बस के परिचालक को प्रवेश पत्र तथा उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र की एक छायाप्रति उपलब्ध करानी आवश्यक है।

29. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

30. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एव आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

31. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/नियोक्ता अधिकारी/प्राधिकारी को ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

32. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, तत्पश्चाात् आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।

33. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

34. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथी की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वैबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

35. परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, समय तथा परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश–पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्रो के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक

कठिनाईयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

36. यदि कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है तथा परीक्षा के सम्बन्ध में भ्रामक सूचनाओं का प्रसारण करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम– 2023 में किये गये संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

37. यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु बोर्ड की ई–मेल helplineukmssb@gmail.com या दूरभाष नम्बर 0135–2665366 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

38. लिखित परीक्षा माह मई–जून 2026 में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

संलग्नक– लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम परिशिष्ट–क।

ह0/–
(प्रदीप जोशी)
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरूष) के डिप्लोमाधारक तथा डिग्रीधारक के रिक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम

परीक्षा कुल 200 अंक, समय– 03 घण्टे

प्रथम प्रश्न पत्र– 100 अंक, नर्सिंग डिप्लोमाधारक/डिग्रीधारक से सम्बन्धित विषय

➢ डिप्लोमाधारक हेतु– 100 अंक

प्रश्न–पत्र	प्रश्नों की संख्या
नर्सिंग फाउण्डेशन	10
मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग	15
साइकोलॉजी	10
न्यूट्रीशियन एंड डाइटिटिक्स	15
मेटरनल हैल्थ नर्सिंग	10
चाइल्ड हैल्थ नर्सिंग	15
कम्युनिटी हैल्थ नर्सिंग	15
मैन्टल हैल्थ नर्सिंग	10

➢ डिग्रीधारक हेतु– 100 अंक

प्रश्न–पत्र	प्रश्नों की संख्या
नर्सिंग फाउण्डेशन	15
नर्सिंग एजुकेशन	10
नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन	10
नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिक्स	10
मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग	10
न्यूट्रीशन एंड डाइटिटिक्स	05
मैन्टल हैल्थ नर्सिंग	10
चाइल्ड हैल्थ नर्सिंग	10
कम्युनिटी हैल्थ नर्सिंग	10
ऑब्स एंडगायनी	10

द्वितीय प्रश्न पत्र–100 अंक सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन

➢ सामान्य हिन्दी–20 अंक

हिन्दी वर्तनी (स्पैलिंग), विश्लेषण, शुद्ध–अशुद्ध, विराम चिह्न, हिंदी अंक, शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया–विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, शब्द भण्डार : तत्सम, तद्भव, देशज, आगत (भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द), एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी (विलोम), पर्यायवाची, संधि, वाक्य–शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति

➢ सामान्य ज्ञान– 40 अंक

- उत्तराखण्ड का भौगोलिक परिचय, इतिहास, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, पर्यटन, परिवहन, लोकगायक, सांख्यिकीय आंकड़े एवं अन्य विविध विषय।
- देश–विदेश का भौगोलिक परिचय, इतिहास, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, पर्यटन, परिवहन, सांख्यिकीय आंकड़े एवं अन्य विविध विषय।
- राष्ट्रीय–अन्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, पुस्तकें, लेखक, गायक, इतिहासकार आदि।
- सामान्य विज्ञान।

➢ सामान्य अध्ययन– 40 अंक

बौद्धिक क्रिया, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यता, शाब्दिक एवं अशाब्दिक तार्किक शक्ति, मूर्त एवं अमूर्त तार्किक शक्ति, गुणात्मक एवं मात्रात्मक तार्किक शक्ति, आरेखण, अनुदेशों को समझने तथा समानताओं व असंगतताओं का पता लगाने से सम्बन्धित प्रश्न।